5 रु. Rs.5 रु. Rs.5
भारत INDIA भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

(158)

<u>माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर</u>

प्र.क्र. /2019 पुनर्विलोकन

पुनर्विलोकन-0489/2019/मंदसौर/भू.रा.

आज दिनांक 9-4-19 को श्रीमती ममता सोनी एडवोकेट द्वारा पेश अभि. पर प्रस्तुत। 9.4.19

ममता सोनी 9/4/19

1. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री कन्हैयालाल सुथार पति सुरेशचन्द्र निवासी नंदावता तहसील दलोदा व माल्याखेड़खेड़ा जिला मंदसौर म.प्र.
2. राजेश दत्तक पुत्र कन्हैयालाल सुथार जनक पिता सुरेश जी सुथार निवासी ग्राम नंदावता तहसील दलौदा जिला मंदसौर म.प्र.

—— आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती मंजूबाई पति राजेश सुथार निवासी ईदगाह के पास रत्नेश्वर रोड रतलाम
2. श्रीमती प्रभावती बाई पति घनश्याम सुथार निवासी गरोड तह. दलौदा जिला मंदसौर
3. श्रीमती सुमित्राबाई पति स्व. बाबूलाल सुथार ग्राम पिपलौदी हा.मु. ढोडर तहसील जावरा जिला रतलाम म.प्र. —— अनावेदकगण

ग्राह्यता पर तर्क हेतु दिनांक 29-5-19 नियत। 10.4.19

<u>पुनर्विलोकन आवेदन पत्र धारा 51 सहपठित धारा 32 म.प्र. भू.रा.सं. तथा आदेश 47 नियम 1 सीपीसी के अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 4857 /2017 में पारित आदेश दिनांक 03-04-2019 के विरूद्ध ऑनलाईन प्रतिलिपि उपलब्ध होने पर प्रस्तुत है।</u>

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्न आधारों पर यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र प्रस्तुत है –

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में निगरानी उपरोक्त आदेश के द्वारा निरस्त की गयी है। माननीय न्यायालय द्वारा अपर आयुक्त महोदय के आदेश को स्पीकिंग आदेश मान्य किया गया है। उक्त

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 0489/2019/मंदसौर/भू.रा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
18 –4–19	आवेदक अधिवक्ता श्री सौरभ जैन उपस्थित । आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/4857 में पारित आदेश दिनांक 03–4–2019 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 0489/2019/मंदसौर/भू.रा के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी /मंदसौर/भू.रा/2017/4857 में पारित आदेश दिनांक 03–4–2019 से वर्णित किया जा चुका है। 4– प्रकरण कमांक रिव्यु 0489/2019/मंदसौर/भू.रा म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नावलोकन में जो आधार बताये गये हैं।	

प्रकरण कमांक रिव्यु 0489/2019/मंदसौर/भू.रा उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राहय किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य